आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/रा:प्र/डी–2/विविध/10–11 दिनांकः–05–5–2011

समस्त उप निदेशक (माध्यमिक)

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक प्रथम/द्वितीय)

विषयः– एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नं. 1580/2011 जगमाल सिंह वर्सेज स्टेट के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम मे निर्देश बाबत शिक्षण एवं विद्यालयी गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों हेतु विद्यालय भवन/भूमि एवं खेल मैदान का उपयोग नहीं करने बाबत।

प्रसंग – पत्रांक पीएस/पीएयई/2010/76 दिनांक 16.03.11

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के प्रासंगिक पत्र दिनाक 16.03.11 (छाया प्रति संलग्न) के निर्देशानुसार एस0बी0सिविल रिट पिटिशन न. 1580/2011 जगमाल सिह वर्सेज स्टेट के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन किसी भी राजकीय विद्यालय भवन भूमि/खेल मैदान को शैक्षिक/सहशैक्षिक गतिविधियों के अलावा अन्य किसी उपयोग हेतु नहीं दिया जावें।

सलंग्न.– उपरोक्तानुसार

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner